



प्रेस नोट

थाना धौलाना

15.07.2021

हापुड़ पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम सम्बन्धी अपराधों के माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अंतर्गत थाना धौलाना पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो अधिनियम के अभियोग में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं 25,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम सम्बन्धी अपराधों के माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अंतर्गत थाना धौलाना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 307/14 धारा 363/366/346/120बी भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित वाद संख्या 43/21 में माननीय न्यायालय हापुड़ में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त साहिब पुत्र सत्तार निवासी बडोदा सिहानी थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ को 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

साहिब पुत्र सत्तार निवासी बडोदा सिहानी थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ ।

दण्ड का विवरण:-

माननीय न्यायालय हापुड़ द्वारा पारित अपने निर्णय में अभियुक्त साहिब उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।